

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1034 / 2003

संस्थित दिनांक—11.09.2002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1— लखनसिंह वल्द बलकर गोंड, उम्र—38 वर्ष,
 निवासी—समरिया, थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2— बीरनसिंह वल्द फत्तेसिंह, उम्र—65 वर्ष,
 निवासी—समरिया, थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3— अवतार सिंह वल्द झाड़ूसिंह गोंड, उम्र—42 वर्ष,
 निवासी—समरिया, थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4— मेहतर उर्फ बंशी वल्द गुमानसिंह गोंड, उम्र—35 वर्ष, (फौत)
 निवासी—चुहरीटोला (बिलाईखार), थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5— सुखिनबाई पति मेहतर उर्फ बंशी गोंड, उम्र—50 वर्ष,
 निवासी—चुहरीटोला (बिलाईखार), थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6— दुरपतबाई पति अर्जुन गोंड, उम्र—50 वर्ष,
 निवासी—समरिया, थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

7- जेवन्ती बाई पति बलकर गोंड, उम्र-60,
निवासी-समरिया, थाना गढ़ी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-01/05/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध धारा-27, 29, 35 सहपठित धारा-51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-24.07.2002 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के रौंदाटोला क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर वन्य प्राणी सांभर जो अनुसूची-2, भाग-11 का वन्य प्राणी है, का गारा का मांस काटकर खाने व विक्रय करने का प्रयोजन से रखकर लाये थे।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि वन कर्मचारी दिनांक-24.07.02 को सुकड़ी वृत्त के रौंदा केम्प में वन गश्ती का कार्य कर रहे थे। गश्तीदल पार्क गश्ती करते-करते पार्क सीमा में पहुंचे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चुहरीटोला (बिलाईखार) के मेहतर उर्फ बंशी गोंड के घर में सांभर का मांस और चमड़ा रखा है। दल प्रभारी द्वारा समस्त दल के सदस्यों सहित ग्राम चुहरीटोला (बिलाईखार) मेहतर उर्फ बंशी के घर पहुंचे तब देखा कि मेहतर उर्फ बंशी सो रहा था, उसे जगाने पर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिन मंगलवार दिनांक-23.07.02 को वे चार लोग माहुल पत्ता तोड़ने कान्हा पार्क के रौंदा क्षेत्र में गए थे, वहां पर उन्हें सांभर का गारा मिला, तब वह वापस ग्राम समरिया आए और तीन व्यक्ति क्रमशः लखनसिंह, बीरनसिंह, अवतारसिंह को साथ में लेकर जहां सांभर का गारा मिला था, वहां ले गया, तब वे सभी सातों लोगों ने मिलकर सांभर के गारे को काटकर खाने व बेचने के लिए लाए हैं और ऐसा कहकर मेहतर अपने हिस्से का मांस और चमड़ा, बांया पैर अपने रहवासी मकान से निकाल कर दिया, जिसे जप्त कर आरोपी मेहतर उर्फ बंशी के बताए अनुसार आरोपी लखनसिंह, बीरनसिंह, अवतारसिंह के घर जाकर पूछताछ किये तब आरोपीगण स्वयं अपने-अपने मकान से सांभर का मांस निकालकर दिए। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-1681/02, धारा-27, 29, 35 सहपठित धारा-51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया

गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को धारा-27, 29, 35 सहपठित धारा-51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान आरोपी मेहतर उर्फ बंशी फौत हो चुका है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-24.07.2002 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के रौंदाटोला क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश किया?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक व स्थान पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी सांभर जो अनुसूची-2, भाग-11 का वन्य प्राणी है, का गारा का मांस काटकर खाने व विक्रय करने का प्रयोजन से अवैध रूप से आधिपत्य में रखा ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— वनपाल सेवाराम वरकड़े (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-24.07.02 का रौंदा बीट में वनपाल के पद पर पदस्थ था। उस समय वह गश्ती के लिये उक्त बीट में गया था, उसे पार्क सीमा लाईन में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मेहतर के घर पर सांभर का चमड़ा और मांस रखा है। फिर गश्तीदल के सदस्यों के साथ वह चुहरीटोला में मेहतर के घर गया था। पूछताछ करने पर मेहतर ने बताया कि दिनांक-23.07.2002 को वह वह माहुर पत्ता तोड़ने कान्हा पार्क रौंदा बीट में गया था, उसने बताया कि उसे सांभर का गारा मिला था, उसने यह भी बताया था कि ग्राम खमरिया के तीन व्यक्ति लखनसिंह, बीरनसिंह, अवतारसिंह के साथ सांभर के गारे के पास गया था। मेहतर ने बताया कि उक्त तीनों आरोपीगण के साथ मिलकर सांभर को खाने व बेचने के लिए काटा था। उसने बताया कि उसने सांभर का चमड़ा, मांस, एक बांया पैर निकालकर अपने घर में रखना बताया था।

6— उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसे मेहतर ने बताया कि लखनसिंह, बीरनसिंह, अवतारसिंह के घर में भी सांभर को मांस रखा है, फिर वह आरोपीगण के घर गया था। लखनसिंह ने सांभर मांस को कुल्हाड़ी से मारा था। उसके द्वारा पूछताछ पर आरोपीगण लखन, मेहतर, अवतार एवं बीरनसिंह से प्रदर्श पी-1 में वर्णित वस्तुएं जप्त की गई थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बीरनसिंह के अंगूठा निशानी है। उसने जप्तशुदा संपत्ति का विस्तृत विवरण प्रदर्श पी-1 में किया है। उक्त कार्यवाही राधेलाल, कोपेलाल की उपस्थिति में की गई थी। उसके द्वारा पी.ओ.आर पत्रक प्रदर्श पी-2 मौके पर बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने संपूर्ण कार्यवाही रेंज में बैठकर किया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि जहां से आरोपीगण से सामान जप्त किया, वहीं पर कार्यवाही किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— वनपरिक्षेत्र सहायक डी. एस. चौधरी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-24.07.2002 को सुकड़ी बीट परिक्षेत्र भैंसानघाट में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कक्ष क्रमांक-163 रौंदा बीट में एक सांभर जो मरा हुआ था, उसे आरोपीगण ने काटा था और उसे अपने घर ले गए थे। उक्त अपराध की सूचना सेवाराम वरकड़े वनपाल रौंदा कैम्प के द्वारा सुकड़ी कार्यालय में दी गई थी। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया था और उनके निर्देशानुसार मौके पर गया था। फिर उसके समक्ष सेवकराम वरकड़े द्वारा पी.ओ.आर क्रमांक-1681/02, दिनांक-24.07.2002 में कार्यवाही की गई थी, जिसमें सेवकराम वरकड़े द्वारा पंचनामा पत्रक, जप्ती, पी.ओ.आर एवं आरोपीगण के कथन तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया है।

8— राधेलाल (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक-24.07.2001 को वह गश्तीदल के साथ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के डोंगरिया क्षेत्र में गश्त करने गया था। साहब लोगों ने बताया था कि बंशी के यहां सांभर के मांस का पता चला है,

तब वे लोग बंशी के घर गये थे। बंशी से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि रौंदा केम्प में अन्य आरोपीगण के साथ माहुल पत्ता तोड़ने गया था, जहां सांभर का गारा मिला था। साक्षी का कथन है कि पहली बार अकेले माहुल का पत्ता तोड़ने जाना और सांभर का गारा देखा जाना बतलाया था। बाद में अन्य आरोपीगण के साथ लेकर तथा सांभर का मांस निकालकर अन्य आरोपी के साथ लाना बताया था। आरोपी बंशी के यहां से सांभर का मांस चमड़ा तथा सांभर का पैर मिला था, जिसे जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण से उसके समक्ष पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किये गए थे। आरोपीगण ने अपना अपराध कबूल किया था। आरोपी लखन के प्रदर्श पी-5 के बयान पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मेहतर के प्रदर्श पी-6, आरोपी अवतार के प्रदर्श पी-7 एवं आरोपी बीरनसिंह के प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि घटना दिनांक को उनके साथ महिला श्रमिक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी हरदाहा और डिप्टी साहब डी.एस. चौधरी व अन्य लोग गए हुए थे। साक्षी का यह भी कथन है कि जप्तीपत्र प्रदर्श पी-1 की लिखा-पढ़ी वनपाल वरकड़े ने किया था। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में वनपाल सेवाराम (अ.सा.2) के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है।

10— परिवादी आर.के. हरदाहा (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह वर्ष 2002 में वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट के पद पर पदस्थ था। पी.ओ.आर क्रमांक-1681/02, दिनांक-24.02.2002 में उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य शासन द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह अस्वीकर किया कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध रंजिशवश झूठा परिवादपत्र पेश किया है।

11— सुशीलाबाई (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना करीब 4 वर्ष पूर्व की बिलाईखार की है। घटना के समय वह पार्क में मजदूरी करती थी और स्टॉफ के साथ गश्त पर गई थी। आरोपी बंशी के घर में तलाशी की गई थी, जिसमें उसके घर से चीतल का चमड़ा मांस व खूर मिले थे, जिसका पंचनामा उसके समक्ष बनाया गया था। आरोपी

लखन के यहां से कुल्हाड़ी और मांस व आरोपी अवतार व मेहतर के यहां से मांस जप्त हुआ था। बीरन के यहां मांस जप्त हुआ था, जिसका मौका पंचनामा उसके समक्ष बनाया गया था। प्रदर्श पी-4 के पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फॉरेस्टवालों को प्रदर्श पी-9 का बयान दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं उसके बयान प्रदर्श पी-9 पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर हस्ताक्षर कराए थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मुख्यपरीक्षण में वन्य प्राणी चीतल का मांस जप्त होना बताई थी और उसे नहीं मालूम आरोपी के घर से चीतल का मांस जप्त हुआ था या सांभर का। इस साक्षी ने वन अधिकारी के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है।

13— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि उक्त साक्षी ने साक्ष्य में आरोपीगण के घर से सांभर का मांस के स्थान पर चीतल का मांस जप्त किये जाने के कथन किये गए हैं। अभियोजन ने साक्षी के कथन न्यायालय के समक्ष घटना के लगभग पांच वर्ष बाद कराए गए हैं। ऐसी दशा में इतने अंतराल में साक्षी की याददाश्त धूमिल होना स्वाभाविक है और इस कारण साक्षी का वन्य प्राणी सांभर के मांस के स्थान पर चीतल का मांस जप्त करने के कथन से साक्षी की विश्वसनीयता भंग नहीं होती है।

14— वनरक्षक उमर मोहम्मद (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। दिनांक-24.07.02 को कटोलडी कैंप में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को वह स्टॉफ के साथ आरोपी बंशी के घर गया, उसके घर में एक किलो मटन सांभर का व चमड़ा मिला था। आरोपी लखन के यहां से एक कुल्हाड़ी व मांस व अवतार के यहां से डेढ़ किलो मांस, आरोपी मेहतर के यहां से दो किलो मांस व चमड़ा मिला था, जिसका मौका पंचनामा डिप्टी साहब ने बनाया था। प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण से उक्त सामान की जप्ती की गई थी। उसके समक्ष चमड़ा, मांस वन परिक्षेत्र सहायक ने सीलबंद कर उसका पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने डिप्टी साहब को बयान दिया था, जो प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सभी आरोपीगण को पकड़ने के बाद पंचनामा बनाया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाते समय गांव के कोई लोग नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपना बयान स्वयं लिखकर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन किया है।

16— वनरक्षक रमेश कुमार (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वह वर्तमान में वन परिक्षेत्र किसली में वनरक्षक के पद पर पदस्थ है। वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण सुखरी वृत्त रौंदा कैंप के पास छत्ते तोड़ने गए थे, तब टाईगर द्वारा मारा गया सांभर को उठाकर अपने घर ले आए थे। आरोपी बंशी के घर पर मांस मिला था, साथ ही अन्य आरोपीगण के पास से मांस मिला था। महिला श्रमिक द्वारा आरोपीगण के पास मांस होने की खबर दी गई थी, तब रेंजर साहब के साथ वह सभी आरोपीगण के घर पर गया था। सभी से अलग-अलग मांस जप्त कर एक ही जगह जप्ती बनाई गई थी। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके साथ पंचनामा बनाते समय कोपलाल, सुशीलाबाई, राधे और अन्य साक्षीगण उपस्थित थे। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-11 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त सांभर को टाईगर ने मारा था और उसने आरोपीगण को घटनास्थल से मरा हुआ सांभर उठाकर लाते हुए नहीं देखा था, किन्तु साक्षी ने आगे इस सुझाव से इंकार किया है कि टाईगर द्वारा सांभर मारा गया था और आरोपीगण के विरुद्ध फर्जी मामला तैयार किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन किया है।

18— कोपलाल (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण के द्वारा सांभर का गारा रौंदाटोला जंगल से उठाकर अपने घर लाया गया था। आरोपीगण के घर में लगभग दो-दो किलो सांभर का मांस पाया गया था। वन परिक्षेत्र सहायक सुकड़ी परिक्षेत्र भैंसानघाट के द्वारा मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके का पंचनामा बनाते समय साक्षी रमेश, उमर, राधेलाल, कमरिया, सुशीलाबाई वगैरह उपस्थित थे। रेंज ऑफिसर भैंसानघाट के अधिकारी द्वारा आरोपीगण से सांभर का मांस लगभग दो-दो किलो जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर

हैं। घटना पुरानी होने के कारण किस आरोपी से कितना मांस जप्त हुआ था, उसे याद नहीं है। उसके समक्ष पी.ओ.आर प्रदर्श पी-2 आरोपी लखनसिंह के विरुद्ध काटा गया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपी लखन, मेहतर, अवतार से सांभर का मांस जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन किया है।

19— कमलिया (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि लगभग 2-3 वर्ष पूर्व गश्त पर गया था। उसके समक्ष आरोपी बंशी के यहां से सांभर का मांस जप्त किया गया था। उक्त संबंध का पंचनामा प्रदर्श पी-5 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर वनपरिक्षेत्र कार्यालय में किया था।

20— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वनपाल सेवाराम वरकड़े (अ.सा.2) ने घटना के समय आरोपी मेहतर उर्फ बंशी के साथ अन्य आरोपी लखनसिंह, बीरनसिंह, अवतारसिंह से वन्य प्राणी सांभर का मांस, चमड़ा व अन्य अवयव उनके आधिपत्य से जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन डी.एस. चौधरी (अ.सा.1), राधेलाल (अ.सा.3), सुशीलाबाई (अ.सा.6), उमर मोहम्मद (अ.सा.7), रमेश कुमार (अ.सा.8) एवं कोपलाल (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में की है। उक्त सभी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी की जप्ती कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होती है।

21— मामले में आरोपी मेहतर उर्फ बंशी के बयान प्रदर्श पी-4, लखनसिंह के बयान प्रदर्श पी-5, अवतारसिंह के बयान प्रदर्श पी-7, बीरनसिंह के बयान प्रदर्श पी-8 में यह लेख है कि उक्त आरोपीगण ने मिलकर सांभर का गारा को काटकर मकान में लाकर आपस में मांस का बंटवारा किया और उसके पश्चात् कुछ मांस को पकाकर खाया और कुछ मांस को सुखाने के लिए चूल्हे के उपर रख दिया था, जिसे वन विभाग वालों ने जप्त किया है। उक्त आरोपीगण ने कान्हा पार्क के अंदर से सांभर का गारा काटकर लाने, खाने एवं सुखाने का अपराध स्वीकार किया है। उक्त आरोपीगण से सांभर के मांस के अलावा सांभर का चमड़ा भी बरामद किया गया है, जिसे आरोपीगण ने अपने बयान में स्वीकार किया है।

22— आरोपीगण के द्वारा की गई उक्त अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छया से की जाना प्रकट होती है। मामलों की परिस्थिति से यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि उक्त संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही, पंचनामा एवं अन्य साक्षीगण के बयान एवं परिवाद के अनुरूप न्यायालयीन कथन से अभियोजन मामलों में संदेह किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। विचारण के दौरान फौत होने वाले आरोपी मेहतर उर्फ बंशी की संस्वीकृति भी अन्य आरोपी लखन, अवतार व बीरन के विरुद्ध सुसंगत एवं ग्राह्य है।

23— आरोपीगण की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में जप्तशुदा मांस व चमड़ा का विधिवत् परीक्षण नहीं कराया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जप्ती एवं विवेचना की कार्यवाही स्वयं वन अधिकारी के समक्ष वनपाल के द्वारा निष्पादित की गई है तथा सभी ने अपनी साक्ष्य में एकमत में वन्य प्राणी सांभर के चमड़े के साथ मांस व अवयव की बरामदगी आरोपीगण से किया जाना प्रकट किया है। उक्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य से वन्य प्राणी सांभर के मांस व चमड़े के परीक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती बल्कि वन अधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षक की पहचान व शिनाख्ती से वन्य प्राणी के चमड़े के परीक्षण हेतु विशेषज्ञ साक्षी की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भोलाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2014(5) एम.पी.एच.टी. 279** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वन अधिकारी की मौखिक साक्ष्य कि जप्त सामग्री वन्य सामग्री है, पर्याप्त होती है।

24— वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत जहां इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस को अपने कब्जे में रखा है, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता, जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अनुमान किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस को अपने अवैधानिक कब्जे में रखा है। इस मामले में आरोपी लखन, अवतार व बीरन से सांभर का मांस व चमड़ा जप्त होना प्रमाणित है। इस कारण यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी लखन, अवतार व बीरन के पास वन्य प्राणी सांभर का मांस व चमड़ा अवैध रूप से आधिपत्य में एवं अभिरक्षा में पाया गया है।

25— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी आरोपी लखन, अवतार व बीरन ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुज्ञा के कान्हा नेशनल पार्क में प्रवेश कर अपराध किया है। उक्त के अलावा आरोपी लखन, अवतार व बीरन के पास वन्य प्राणी सांभर का मांस व चमड़ा अवैध आधिपत्य में होने से तथा उनकी संस्वीकृति से उनके द्वारा अधिनियम की धारा-29 एवं धारा-35(6) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान से वन्य प्राणी की मृत्यु की सूचना न देकर उसके अवशेष ले जाने व स्वार्थवश उपयोग करने का अपराध किया गया है।

26— आरोपीगण के द्वारा वन्य प्राणी सांभर का शिकार किये जाने का आरोप नहीं है और न ही ऐसी साक्ष्य पेश की गई है। यद्यपि मृत वन्य प्राणी सांभर के मांस व चमड़े को आरोपी लखन, अवतार व बीरन के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान से निकालकर उनके अवैध आधिपत्य में होना प्रमाणित है। परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वन्य प्राणी सांभर को अनुसूची-2 के भाग-2 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। यद्यपि उक्त वन्य प्राणी सांभर को अधिनियम 1972 की अनुसूची-3 में दर्शित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपीगण के द्वारा अधिनियम की धारा-51 के परंतुक के अंतर्गत अनुसूची-1 या 2 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट किसी पशु के मांस के संबंध में अपराध कारित किया जाना प्रकट नहीं होने से या राष्ट्रीय उद्यान में शिकार या सीमा परिवर्तन से संबंधित अपराध न होने से मामलों में उक्त परंतुक आकर्षित नहीं होता है।

27— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी लखन, अवतार व बीरन के अलावा अन्य आरोपी सुखिनबाई, दुरपतबाई एवं जेवन्तीबाई के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं हुई है। आरोपी सुखिनबाई, दुरपतबाई एवं जेवन्तीबाई से कोई जप्ती की कार्यवाही भी नहीं हुई और न ही उनकी संस्वीकृति के संबंध में कोई बयान लेखबद्ध किये गए हैं। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में आरोपी सुखिनबाई, दुरपतबाई एवं जेवन्तीबाई के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है। अतएव आरोपी सुखिनबाई, दुरपतबाई एवं जेवन्तीबाई को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 35 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

28— अभियोजन ने आरोपी लखन, अवतार व बीरन के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि उक्त आरोपीगण ने दिनांक-24.07.2002 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के रौंदाटोला प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति

प्रवेश कर अधिनियम की धारा-27 की उपधारा (1) का उल्लंघन किया तथा वन्य प्राणी की मृत्यु की सूचना देने व उसके अवशेष की सुरक्षा करने के दायित्व का निर्वहन न कर धारा-27 की उपधारा (2)(स) का उल्लंघन किया। उक्त आरोपीगण ने वन्य प्राणी सांभर जो अनुसूची-3 का वन्य प्राणी है, का गारा का मॉस, चमड़ा व अवयव को काटकर खाने व विक्रय करने का प्रयोजन से राष्ट्रीय उद्यान से हटाकर स्वार्थवश उपयोग कर अधिनियम की धारा-29 एवं 35 (6) का उल्लंघन किया। अतः आरोपी लखन, अवतार व बीरन को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 35 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

29— आरोपी लखन, अवतार व बीरन को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिचीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

30— आरोपी लखन, अवतार व बीरन व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उक्त आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2002 से विचारण का सामना कर रहे हैं, तथा उनके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

31— प्रकरण में आरोपी लखन, अवतार व बीरन मामले में वर्ष 2002 से विचारण कर रहे हैं तथा उनके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी लखन, अवतार व बीरन ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची-3 के अंतर्गत वन्य प्राणी सांभर के मांस व चमड़ा अवैध आधिपत्य में रखने का उल्लंघन किया है तथा यह उनका प्रथम अपराध है। अतएव उक्त संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए आरोपी लखन, अवतार व बीरन प्रत्येक को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 35 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उन्हें दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

32— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

33— मामले में आरोपी लखन, अवतार, बीरन दिनांक-27.07.2002 से दिनांक-30.07.2002 एवं दिनांक-12.08.2010 से 14.08.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहें हैं। उक्त अभिरक्षा की अवधि मूल कारावास में समायोजित किये जाने के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

34— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मांस व चमड़ा विधिवत् नष्ट किये जाने की पूर्व से ही अनुमति प्रदान की गई है तथा शेष जप्तशुदा एक कुल्हाड़ी, मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट